

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2019-20/624

दिनांक : 1-6-2020

दिशा-निर्देश

**विषय:-** COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु मरीजों के Biometric verification में शिथिलन अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 581 दिनांक- 18.05.2020 द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत मरीजों के Biometric verification में दिनांक 31.05.2020 तक शिथिलन प्रदान की गई थी। इस शिथिलन की अवधि बढ़ाकर 15.06.2020 की मध्य रात्रि तक की जाती हैं।

शिथिलन के संबध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 414 दिनांक 19.03.2020 की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

(शुचि त्यागी)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2019-20/624

दिनांक : 1-6-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी।
6. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी।
7. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
9. आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में संबद्ध समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालय।
10. Mr.Alex, AVP हैल्थ इण्डिया एश्योरेन्स टीपीए ([abmgrsby@healthindiatpa.com](mailto:abmgrsby@healthindiatpa.com))
11. रक्षित पत्रावली एवं इन्चार्ज सर्वर रूम को ई-मेल करने हेतु।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी